बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या–09 / विविध (BCDO)–18 / 2026 .... पटना, दिनांक–..........

बिहार नगर विकास अधिनियम, 2026 की धारा–3 के अन्तर्गत "बिहार नगर विकास प्राधिकरण" की स्थापना निम्नवत की जाती है :

(क) अध्यक्ष : मुख्य सचिव, बिहार सरकार।

(ख) उपाध्यक्ष : अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग।

(ग) पदेन सदस्य : अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

(घ) मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी : बिहार सरकार द्वारा नियुक्त ऐसा पदाधिकारी, जो विशेष सचिव के पद से निम्न श्रेणी का न हो।

2. उक्त प्राधिकरण शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुहर वाला एक निगमित निकाय होगा, जिसे संपत्ति अर्जित करने, धारण करने एवं उसका व्ययन करने, संविदाएँ करने तथा अपने नाम से वाद संस्थित करने अथवा उसके विरुद्ध वाद चलाए जाने की शक्ति होगी।

3. वर्णित अधिनियम की धारा–5 (1) के अन्तर्गत तत्काल बिहार नगर विकास प्राधिकरण का कार्यालय विकास भवन, नया सचिवालय के प्रथम तल पर अवस्थित नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत होगा।

4. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(मनोज कुमार)

अपर सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–09 / न0वि0(अधि0)–03 / 2025 .... न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक–.......

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना / ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, पटना (सी०डी० के साथ) को बिहार गजट में अतिरिक्त प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि प्रकाशित गजट के 200 कॉपी कार्यालय उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाय।

ह०/–

अपर सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक–09 / न0वि0(अधि0)–03 / 2025 8508 न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक–13/08/26

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / अध्यक्ष, बिहार भू–सम्पदा अपीलीय न्यायाधिकरण, पटना / अध्यक्ष, भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार, पटना / नगर आयुक्त, सभी नगर निगम / नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं सभी नगर पंचायत / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सभी आयोजना क्षेत्र प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग / विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/8/2026

अपर सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग